न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 37/2025

शारदा पत्नी श्री सहीराम जाति नायक, निवासी 9 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. दईया एग्रीट्रेड प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर पुष्पेन्द्र दईया पुत्र श्री केसराराम दईया जाति मेघवाल, निवासी म नं. 8 डी – 7, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा	प्रार्थी
2. श्री ब्रह्मदत्त उपाध्याय	अप्रार्थी 1
3. पैरोकार राज	अप्रार्थी –2

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.11.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया औरतजात है और प्रार्थीया के नाम से वाके चक 9 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 110 / 42 के मुरब्बा नं. 52 में किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक सालम, किला नं. 5 में 0.228 है0, किला नं. 6/3, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1 प्रत्येक में 0.0630 है0, किला नं. 12/2 में 0.1270 है0, किला नं. 19/1 में 0.1740 है0 कुल 1.8560 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। अनावेदक सं. 1 के नाम से वाके चक 9 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/42 के मुरब्बा नं. 52 में किला नं. 6/1, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11, 12/1, 13/1, 14/1, 15/3, 19/2, 20/1 की कुल 1.8570 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए चक 9 क्यू के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 12/2 व 19 /1 में रास्ता चालू है जिसमें अप्रार्थी रूकावट पैदा कर रहा हैं। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 का रकबा संयुक्त है इसलिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 12/2 व 19/1 में रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र में जो अन्तिम रूप से स्वीकार नही होता तब तक अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वह चक 9 क्यू के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 12/2 व 19/1 में चल रहे रास्ता में किसी प्रकार की रूकावट पैदा ना करे। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन है कि चक 9 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 12/2 व 19/1 में चल रहे रास्ता को स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि चक 9 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 38/42 के मुरबा नं. 52 में किला नं.6/17/2, 8/2, 9/2,10/2,11,12/1,13/1,14/1, 15/3,19/2,20/1 कुल 1.3570 हैक्टेयर पुष्पेन्द्र पुत्र श्री केसराराम दईया व इसी मुरबा में किला नं. 13/2, 16/3, 17/1, 17/2, 14/2, 18, 19/3, 20/2, 21 ता 24 व 25/1 कुल 2.1720 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीया मोनिका पत्नी पुष्पेन्द्र के नाम से है। उक्त दोनों रकबों के बीच में शारदादेवी को लगभग सवा बीघा कृषि भूमि आती है। वादीया द्वारा जिस रास्ता की स्वीकृति मांगी जा रही है उक्त रास्ता अप्रार्थी पुष्पेन्द्र व उसकी पत्नी मोनिका द्वारा अपने निजी उपयोग व उपभोग के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है । वादीया शारदादेवी भी अपने सवा बीघे की कृषि कार्य हेतू समय–समय पर अप्रार्थीगण की सहमति से इस्तेमाल कर रही थी। उक्त रास्ते में कृषि कार्य करने हेतू कभी भी विधन नहीं डाला गया है बल्कि वादीया द्वारा मुरबा नं.52 में किला नं.5 में जो कि वादीया की कब्जा काश्त भूमि है के साथ में स्वीकृत नक्का है जहां से अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि को सिंचित करता है वादीया द्वारा दिनांक–08.03. 2025 को पानी की बारी पर झगड़ा किया गया व महिलाओं से सम्बन्धित धाराओं में झूठा मुकदमा लगाकर अप्रार्थी को फंसाया गया है। अप्रार्थी सभ्य व शिक्षित व्यक्ति व श्रीगंगानगर में निवास करता है उक्त भूमि ठेका पर काश्त के लिए दे रखी है । अप्रार्थी द्वारा उक्त परेशानी से बचने के लिए अपनी व पत्नी की कब्जा काश्त में आने वाली कृषि भूमि इसी मुरबा नं. 52 के किला नं. 20/2 और 21 में वादीया की सवा बीघा कृषि भूमि जो इस खाते के काश्तकारान के बीचों बीच रकबा पड़ता है की एवज में दिये जाने का प्रस्ताव भी दिया हुआ है ताकि उक्त रास्ते के उपयोग–उपभोग हेतू कोई विवाद न रहे । मुरबा नं.52 के किला नं.20/2 व 21 गांव को जाने वाले स्वीकृत मार्ग पर खुलते हैं। उक्त रास्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू अपनी सुविधा के अनुसार बनाया हुआ है, जिसका अप्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग–उपभोग करता है। चूंकि वादीया को अप्रार्थी व उसकी पत्नी मोनिका के नाम से कब्जा काश्त के बीच वाली भूमि पर कृषि उपयोग–उपभोग के लिए कभी भी आना कानी नहीं की यहां यह अंकित करना भी आवश्यक है कि अगर उक्त रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो अप्रार्थी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि का नुकसान होगा जिसकी भरपाई रुपयों से नहीं की जा सकती, यहां यह भी अंकित करना आवश्यक है कि अप्रार्थी द्वारा वादीया को मुख्य स्वीकृत रास्ता किला नं.20/2 व 21 में सवा बीघा भूमि देने को तैयार है जिसका पूर्व में भी अंकन किया गया है ।वादीया द्वारा केवल अप्रार्थी को परेशान करने हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः जवाब पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का वाद – पत्र जवाब रोशनी में खारिज फरमाया जावे ।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

– :: आदेश ::–

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए., अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु चक 9 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 12/2 व 19/1 में चल रहे रास्ता को बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाए जाने के उपरान्त तहसीलदार राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन करे एवम् सम्बंधित काश्तकार को अपने स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.11.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)